

सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है: लोक सभा  
अध्यक्ष

...

RTI के दुरुपयोग से सावधान रहने की आवश्यकता: लोक सभा अध्यक्ष

...

RTI दाखिल करने वाले की मंशा का अध्ययन करना आवश्यक: लोक सभा अध्यक्ष

...

जन कल्याण एवं पारदर्शिता के मूल्यों का परिचय देते हुए सूचना आयोग ने RTI द्वारा  
लोकतंत्र को सशक्त किया है: लोक सभा अध्यक्ष

...

लोक सभा अध्यक्ष ने केन्द्रीय सूचना आयोग के 15 वे वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह  
को सम्बोधित किया

...

**नई दिल्ली; 09 नवम्बर, 2022:** लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज विज्ञान भवन में आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग के 15 वे वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की तथा सभा को सम्बोधित किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने केन्द्रीय सूचना आयोग की सराहना करते हुए कहा कि जन कल्याण एवं पारदर्शिता के मूल्यों का परिचय देते हुए सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा लोकतंत्र को सशक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि 75 वर्ष की लोकतान्त्रिक यात्रा में देश ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। विधि निर्माण का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि जन कल्याण के मूल्यों तथा जनादेश के आधार पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर विधि संस्थाओं ने जनता को अधिकार दिलाने में व्यापक कार्य किया है और शासन-प्रशासन की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

श्री बिरला ने सूचना का अधिकार अधिनियम से आने वाले व्यापक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए सूचित किया कि इ गवर्नेंस, सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं ग्रामीण स्तर तक आने वाली पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है तथा विधि शासन को मजबूत किया है। उन्होंने

आगे कहा की माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विज्ञान में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बड़ी भूमिका है, जो कि जन भागीदारी के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।

जनता के शासन प्रशासन पर बढ़ते विश्वास का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि RTI से जुड़े त्वरित जानकारी एवं पारदर्शी कार्यान्वयन से जनता का विश्वास सशक्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में उठे कदम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिला है। अपने सम्बोधन में श्री बिरला ने RTI के दुरुपयोग से सावधान रहने का उद्घोष किया, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि RTI दाखिल करने वाले की मंशा का अध्ययन करना आवश्यक है तथा ऐसे कदमों से और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। अंत में उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित इस अधिवेशन में सभी हितधारकों को सार्थक चर्चा संवाद के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भू-विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा ने स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत किया।